न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 17/2024
दायर दिनांक : 09/05/2024
निर्णय दिनांक : 11/07/2024

उनवान

1. अमरा पुत्र बरदा खटीक निवासी पारी तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूलाल पिता देवजी खटीक निवासी पारी तहसील भूपालसागर
2. उदयराम पिता सोईराम खटीक निवासी पारी तहसील भूपालसागर
3. कालूराम पिता सोईराम खटीक निवासी पारी तहसील भूपालसागर
4. भूरालाल पिता नोला खटीक निवासी पारी तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **ग्राम पारी प.ह.पारी तहसील भूपालसागर के खाता सं. 20 के आ.सं. 2591 रकबा 0.24 है., आ.सं. 2682 रकबा 1.65 है. आ.सं. 2683 रकबा 0.65 है., आ.सं. 3271/2590 रकबा 0.05 है., आ.सं. 3272/2684 रकबा 0.13 है. खाता सं. 181 की आ.सं. 2579 रकबा 0.71 है., आ.सं. 2580 रकबा 0.02 है., आकृसं. 2581 रकबा 0.62 है., आ.सं. 2582 रकबा 0.16 है., आ.सं. 2583 रकबा 0.14 है., आ.सं. 2584 रकबा 0.14 है., आ.सं. 2585 रकबा 0.05 है., आ.सं. 2587 रकबा 0.60 है., आ.सं. 2684 रकबा 0.20 है., आ.सं. 2797 रकबा 0.46 है., आ.सं. 2798 रकबा 0.18 है., आ.सं. 2799 रकबा 0.42 है., आ.सं. 2800 रकबा 0.40 है. एवं खाता सं. 183 की आ.सं. 3080/2587 रकबा 0.28 है.** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश [illegible] करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन [illegible] बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.08.06 09:24:06 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
भूपालसागर